B.A. Part III (H) (1)
Paper – VI

शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त – अर्थ एवं शक्ति सन्तुलन स्थापित करने के साधन

शक्ति सन्तुलन अनेक शताब्दियों से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। अतः इस सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक मौलिक सिद्धान्त माना जाता है। शक्ति सन्तुलन का अभिप्राय यह है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति के पक्षों में लगभग समानता बनी रहे जिससे कोई भी एक पक्ष या राज्य अन्य राज्यों पर हावी न हो। जिस प्रकार एक तुला के दो पलड़े समान भार होने पर सन्तुलित बने रहते हैं, इसी प्रकार की साम्यावस्था विभिन्न राज्यों में सदैव बनी रहनी चाहिए।

अर्थ – शक्ति सन्तुलन अवधारणा का अर्थ स्पष्ट करना बहुत कठिन है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सन्दर्भ में शक्ति सन्तुलन से अभिप्राय है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच कम-से-कम स्थूल सन्तुलन कायम होना। बलार्ड के अनुसार यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न राष्ट्र अपने आपसी शक्ति सम्बन्धों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रतापूर्वक सञ्चालित करते हैं। इस प्रकार यह एक ऐसी विकेन्द्रित व्यवस्था है जिसमें शक्ति एवं नीति निर्णायक इकाइयों के हाथों में ही रहती है। इस सन्दर्भ में, कोल्डेन का मत है कि एक राष्ट्र को स्वयं अपनी तथा अपने पड़ोसी राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शक्ति सन्तुलन की स्थापना करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। स्वतंत्रता, शांति, स्थिरता तथा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए शक्ति सन्तुलन आवश्यक है क्योंकि एक निश्चित सीमा के बाद एक राज्य की बढ़ती हुई शक्ति अन्य सभी राज्यों को प्रभावित करने लगती है। इतना ही नहीं, एक राज्य का अत्यधिक शक्तिशाली होने का अर्थ है अन्य राज्यों का विनाश और पराजय।

उपरोक्त विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शक्ति सन्तुलन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की एक स्थिति, एक प्रक्रिया, एक नीति और एक व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है।

Scanned with CamScanner

मॉरिस सेन के शक्ति सन्तुलन

अवधारणा के निम्नलिखित अर्थ प्रस्तुत किये हैं :-

(1) शक्ति सन्तुलन का अर्थ है शक्ति का वितरण।

(2) शक्ति सन्तुलन से अभिप्राय है दो प्रतियोगी राष्ट्रों, गुटों, राष्ट्रों के समूहों या प्रतिस्पर्धी दलों में शक्ति की समानता।

(3) सन्तुलन से अभिप्राय है शक्ति की एकता। सन्तुलन शक्ति के वितरण का यह तंत्र है जिसमें प्रत्येक राज्य और इसके मित्र राज्य शक्ति की अति अधिकता हासिल करना चाहते हैं।

(4) शक्ति सन्तुलन से अभिप्राय है शांति एवं स्थिरता। सन्तुलन यथास्थिति का समर्थन करता है जिससे स्थिरता आती है। शक्ति सन्तुलन से आक्रमण रोकने में मदद मिलती है जिससे शांति की स्थापना की जा सकती है।

(5) शक्ति सन्तुलन से अभिप्राय अस्थिरता तथा युद्ध भी है क्योंकि इससे अविश्वास एवं भय बढ़ता है जिसका परिणाम युद्ध होता है।

(6) शक्ति सन्तुलन के लिए संघर्ष वस्तुतः शक्ति का संघर्ष है।

(7) शक्ति सन्तुलन एक सार्वभौमिक नियम है। जहाँ राष्ट्र राज्य व्यवस्था होगी, वहाँ किसी न किसी प्रकार का सन्तुलन अवश्य रहेगा।

(8) शक्ति सन्तुलन को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की एक व्यवस्था के रूप में भी देखा जाता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति कारक के महत्व को प्रतिपादित करता है तथा विदेश नीति के निर्माण में शक्ति सन्तुलन को ध्यान में रखे जाने पर जोर देता है।

शक्ति सन्तुलन स्थापित करने के साधन :-

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने शक्ति सन्तुलन स्थापित करने के कई साधन बताए हैं जिनसे राष्ट्र शक्ति सन्तुलन अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं।

(1) क्षतिपूर्ति — Compensation — क्षतिपूर्ति की नीति से अभिप्राय है कि एक राज्य को उतना दो जितना उससे ले लिया गया है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुलन बना रहे। युद्धों के पश्चात शांति संधियों में इसी आधार पर राज्यों के क्षेत्रों में प्रदेशों का आदान-प्रदान होता है और सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है कि राज्यों की तुलनात्मक शक्ति यथापूर्व बनी रहे। सन् 1713 की यूट्रेक्ट संधि द्वारा प्रथम बार स्पेन

द्वारा अधिकृत भूमि को बाँटकर शक्ति सन्तुलन स्थापित करने की कोशिश की गई थी। भू-भागों का वितरण करते समय केवल क्षेत्रफल का ही ध्यान नहीं रखा जाता है बल्कि उनकी उर्वरता, औद्योगिक क्षमता तथा साधनों की प्रचुरता का भी ध्यान रखा जाता है।

(2) हस्तक्षेप (Intervention) — कभी-कभी शक्तिशाली राज्य सन्तुलन स्थापित करने की दृष्टि से अन्य राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। एक देश शस्त्रीकरण, औद्योगीकरण एवं उत्पादन द्वारा शान्तिप्रिय राज्य के स्थान पर आक्रामक राज्य बन सकता है जिसका प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में अन्य राज्य या तो मूक-दर्शक बना रह सकता है या प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर सकता है।

सन् 1648 में वेस्टफालिया की संधि के बाद से यूरोप की राजनीति का यह मूल सिद्धान्त रहा है कि कोई भी राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक शक्तिसम्पन्न न हो। द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त ब्रिटेन ने ग्रीस में, अमरीका ने ग्वाटेमाला, क्यूबा, लेबनान, लाओस, कम्बोडिया और वियतनाम तथा सोवियत संघ ने उत्तरी कोरिया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया एवं अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया है। इन सभी हस्तक्षेपों में हस्तक्षेप करनेवाली शक्तियों के उद्देश्य स्वार्थपूर्ण थे और इन्होंने छोटे राज्यों के हितों को अपने हितों की पूर्ति के लिए बलिदान करने में संकोच नहीं किया। ये समस्त हस्तक्षेप यथापूर्व स्थिति को बनाए रखने अथवा शक्ति सन्तुलन को अपने पक्ष में करने के लिए किए गए।

(3) मध्यवर्ती राज्य (Buffer State) — शक्ति संतुलन स्थापित करने का तीसरा तरीका है मध्यवर्ती राज्य - एक ऐसा तटस्थ बफर राज्य स्थापित किया जाए जो दुर्बल हो और दो बड़े गैर-मित्र देशों के बीच में स्थित हो। ऐसे मध्यवर्ती राज्य का कार्य है दोनों बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों को अलग रखकर उनमें युद्ध छिड़ने की गुंजाइश कम करना। मध्यवर्ती राज्य कई प्रकार के हो सकते हैं - तटस्थीकृत राज्य, जैसे स्विट्जरलैंड (फ्रांस, जर्मनी और इटली के मध्य), तटस्थ राज्य, उपग्रह राज्य (जैसे पूर्वी यूरोप) तथा गुटनिरपेक्ष राज्य।

(4) शस्त्रीकरण (Armament) — मॉरगेन्थाऊ के अनुसार जिन प्रधान साधनों द्वारा एक राष्ट्र अपनी शक्ति से शक्ति सन्तुलन बनाए रखने अथवा उसको पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करता है, शस्त्र-शस्त्र है। जब कभी कोई राष्ट्र अपनी

Scanned with CamScanner

सैनिक शक्ति बढ़ाता है तब दूसरे प्रतियोगी राज्य भी उसकी बराबरी में आने के लिए शस्त्रास्त्रों की प्रतिस्पर्धा में पड़ जाते हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा शुरू होती ही थी। शस्त्रीकरण से सदैव अस्थिर सन्तुलन का भय होता होता है। अतः राज्य निरस्त्रीकरण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।

(5) विभाजन तथा शासन (Divide and Rule) — शक्ति सन्तुलन स्थापित करने के लिए राज्य ~~अप~~ शत्रुपक्ष के सभी राष्ट्रों में फूट डालने का भी प्रयत्न करते हैं जिससे वे ~~अप~~ ~~सन्तुलन~~ शत्रु आपस में न मिल सकें, उनमें फूट रहे और वे कमजोर बने रहें। फ्रांस की नीति जर्मनी तथा शेष यूरोप के साथ, सोवियत संघ की नीति, आधुनिक समय में इस प्रकार की सबसे अधिक संगत एवं महत्वपूर्ण नीतियाँ हैं।

(6) मैत्री संधियाँ (Alliance and Counter Alliances) — संश्रय अथवा मैत्री संधियाँ शक्ति सन्तुलन स्थापित करने का मुख्य ~~अथवा~~ आधार रही हैं। पामर तथा पर्किंस के अनुसार यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राज्यों की प्रत्येक संधि का सम्बन्ध शक्ति सन्तुलन से रहता है, चाहे उसका विस्तार क्षेत्रीय हो, गोलार्द्धीय हो या विश्वव्यापी।

मॉरगेन्थाऊ के अनुसार, परस्पर प्रतिस्पर्द्धा में लगे हुए राष्ट्र अ और ब के समक्ष अपनी सापेक्ष शक्ति स्थितियों को बनाए रखने तथा सुधारने के तीन विकल्प हैं। वे अपनी निजी शक्ति बढ़ा सकते हैं, वे अपनी शक्ति में अन्य राष्ट्रों की शक्ति जोड़ सकते हैं अथवा विरोधी राष्ट्र की शक्ति के साथ दूसरे राष्ट्रों की शक्ति को मिलने से रोक सकते हैं। जब वे प्रथम विकल्प को चुनते हैं तो संश्रयों की नीति का अनुसरण करते हैं। अंतिम दोनों विकल्पों का सम्बन्ध संधियों और प्रति-मैत्री संधियों से है। मैत्री संधियाँ और प्रति मैत्री संधियाँ यूरोपीय राजनीति का मुख्य अंग रही हैं। सन् 1882 के उपरान्त जब त्रिराष्ट्रीय संश्रय (Triple Alliance) की स्थापना हुई तो उसके विरुद्ध ही त्रिराष्ट्रीय सहमति (Triple Entente) का निर्माण हुआ। इसी प्रकार 1936 में धुरी राष्ट्रों (Axis Powers) की संधि के विरोध में मित्र राष्ट्रों (Alliance Powers) के प्रतिसंश्रय का निर्माण हुआ।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मैत्री संधियाँ और संश्रय सुरक्षात्मक भी हो सकते हैं तथा आक्रमणात्मक भी। मैत्री संधियाँ बराबर किसी निश्चित राज्य के विरुद्ध

Scanned with CamScanner

नहीं होती बल्कि उन किसी भी राज्य के विरुद्ध होती हैं जो शक्ति सन्तुलन को असन्तुलित करना चाहता है।

अतः उपरोक्त में से कोई भी तरीका राज्य अपने अनुकूल शक्ति सन्तुलन बनाए रखने के लिए अपनाते रहते हैं। छोटे राज्यों की स्वाधीनता की सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय शांति का पोषण तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को बनाए रखना — शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त के लाभ कहे जा सकते हैं। साथ ही, इन सिद्धान्तों के कुछ दोष भी हैं, जैसे — राज्य को शक्ति संचय के लिए प्रेरित करना, शक्ति सन्तुलन व्यवस्था में राज्य का भयग्रस्त रहना, शक्ति सन्तुलन शक्ति का आदर्श वितरण नहीं होना, शक्ति सन्तुलन युद्धों का कारण होना इत्यादि।

Scanned with CamScanner